



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



10 भाद्र, 1945 (श०)

संख्या - 545 राँची, शुक्रवार,

1 सितम्बर, 2023 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

संकल्प

31 अगस्त, 2023

विषय:- “झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022” के तहत झारखंड राज्य के वैसे जिले, जहाँ प्लेसमेंट एजेन्सी का चयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी है, उन जिलों में आगामी तीन माह (सितम्बर से नवम्बर, 2023) अथवा प्लेसमेंट एजेन्सी के कार्य प्रारम्भ करने तक (जो भी पहले हो) के लिए आपात व्यवस्था के अंतर्गत राजस्वहित में JSBCL को दैनिक पारिश्रमिक के रूप में विक्रेताओं की सेवा प्राप्त कर खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु प्राधिकरण को विस्तारित करने के संबंध में ।

संख्या-01/नीति-05-02/2022- 2057--“झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022” के तहत झारखंड राज्य के वैसे जिले, जहाँ प्लेसमेंट एजेन्सी का चयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी है, उन जिलों में अधिकतम चार माह हेतु आपात व्यवस्था के अंतर्गत राजस्वहित में दिनांक 01.05.2023 से JSBCL को दैनिक पारिश्रमिक के रूप में विक्रेताओं की सेवा प्राप्त कर खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु प्राधिकृत करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या 1008 दिनांक 30.04.2023 निर्गत की गई थी ।

उक्त संकल्प के प्रकाशन के समय झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) के पास खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के लिए मात्र 2 जोन के 5 जिला यथा देवघर, गिरिडीह, पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में ही प्लेसमेंट एजेन्सी चयनित एवं कार्यरत थी, जिसके कारण शेष 8 जोन के 19 जिलों में खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु आपात व्यवस्था के तहत दिनांक 01.05.2023 से अधिकतम चार माह के लिए दैनिक पारिश्रमिक के रूप में कार्यरत विक्रेताओं की सेवा प्राप्त कर खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन के लिए JSBCL को प्राधिकृत किया गया था ।

2. वर्तमान में कुल 6 जोन के 13 जिलों में खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु प्लेसमेंट एजेन्सियों का चयन किया जा चुका है। जोन संख्या 4 में चयनित प्लेसमेंट एजेन्सी को JSBCL के स्तर से सहमति पत्र निर्गत किया जा चुका है, प्लेसमेंट एजेन्सी के द्वारा बैंक गारंटी जमा किया जाना शेष है, जोन संख्या 10 में प्लेसमेंट एजेन्सी के द्वारा बैंक गारंटी जमा कर दी गई एवं कार्य आवंटन निर्गत किया जा चुका है। शेष दो जोन (संख्या 7 एवं 9) हेतु JSBCL के स्तर से निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। निविदादाता द्वारा आवेदन समर्पित किया जा चुका है। प्राप्त निविदा के आधार पर एजेन्सियों के चयन की कार्यवाई प्रक्रियान्तर्गत है ।

राज्य के अधिकांश जिलों में प्लेसमेंट एजेन्सियों का सफलतापूर्वक चयन किया जा चुका है एवं उनके माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकान संचालित है। शेष बचे जिलों में प्लेसमेंट एजेन्सी के चयन में प्रक्रियात्मक समय लगना संभावित है ।

निर्धारित लक्ष्य का 72% उत्पाद राजस्व संग्रहण हेतु प्लेसमेंट एजेन्सियों का चयन किया जा चुका है। शेष जिलों में प्लेसमेंट एजेन्सी के चयन के लिए दो से तीन माह लगने की संभावना को देखते हुए विभागीय संकल्प संख्या 1008 दिनांक 30.04.2023 की कंडिका 2 में वर्णित शर्तों के तहत “झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022” के तहत झारखंड राज्य के वैसे जिले, जहाँ प्लेसमेंट एजेन्सी का चयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी है, उन जिलों में आगामी तीन माह (सितम्बर से नवम्बर, 2023) अथवा प्लेसमेंट एजेन्सी के कार्य प्रारम्भ करने तक (जो भी पहले हो) के लिए आपात व्यवस्था के अंतर्गत राजस्वहित में JSBCL को दैनिक पारिश्रमिक के रूप में विक्रेताओं की सेवा प्राप्त कर खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु प्राधिकरण को विस्तारित करना आवश्यक है ।

3. उक्त तथ्यों के आलोक में यह निर्णय लिया गया कि विभागीय संकल्प संख्या 1008 दिनांक 30.04.2023 की कंडिका 2 में वर्णित शर्तों के आलोक में “झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022” के तहत झारखंड राज्य के वैसे जिले, जहाँ प्लेसमेंट एजेन्सी का चयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी है, उन जिलों में आगामी तीन माह (सितम्बर से नवम्बर, 2023)

अथवा प्लेसमेंट एजेंसी के कार्य प्रारम्भ करने तक (जो भी पहले हो) के लिए आपात व्यवस्था के अंतर्गत राजस्वहित में JSBCL को दैनिक पारिश्रमिक के रूप में विक्रेताओं की सेवा प्राप्त कर खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु प्राधिकरण को विस्तारित किया जाता है ।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।
